



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श10)  
(सं0 पटना 868) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2023

अधिसूचना संख्या 18/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 351, दिनांक 19 अक्टूबर 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी. पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न"।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/ विविध-21/2017 (खंड-17) 18)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

## 19 अक्टूबर 2023

एस० ओ० 351, दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विधि-21/2017(खंड-17) 18)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 19<sup>th</sup> October 2023***Notification No. 18/2023- State Tax (Rate)**

S.O. 351, Dated 19<sup>th</sup> October 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No.2/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled".

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 18 )]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 868-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>